प्रेस नोट - दिनांक 07.11.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

अवैध पटाखों के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.11.2026 को थाना कोतवाली पुलिस बल द्वारा बडे चौराहे पर स्थित चांद बक्शे वाले की दुकान पर अवैध पटाखा रखे व्यक्ति चांद उर्फ इशरत अली पुत्र स्व0 बरकत अली निवासी 279 शाहगंज थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 54 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध 58 अदद सुतली बम व 60 दैमार पटाखा तथा 45 अदद छोटे दैमार पटाखा बरामद हुआ। जिसके संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0स0-697/2026 धारा- 5/9 ख विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

चाँद उर्फ इशरत अली पुत्र स्व बरकत अली उम्र करीब 54 वर्ष निवासी 279 शाहगंज थाना कोतवाली सदर उन्नाव

बरामदगी-

1.एक अदद गत्ता जिसमें 58 अदद सुतली बम,
2.धागे से बंधे 60 अदद दैमार पटाखा,
3.कपडे में लिपटे हुए 45 अदद दैमार पटाखा



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 श्री चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव
उ0नि0 सुभाष चन्द्र चौकी इंचार्ज सदर
हे0का0 शादाब खां ,
का0 अविनाश अहिरवार